

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वा लियर कैम्प रीवा म०प्र०



01 सुखान्त सिंह पिता श्री जगदीश सिंह गोड़

RS-30/-

02 देवेन्द्र सिंह पिता श्री जगदीश सिंह गोड़

दोनो निवासी ग्राम ^{आरवा} ~~अरवा~~, तहसील- देवतर, जिला-सिगरौली
म०प्र०

अवेदकगण

बनाम

01- गनपत पिता गिरधारी सिंह ^{मृतक} पत्नी जयमनिया ।

02- जयलाल सिंह पिता श्री महीपति सिंह

03- सुलाल सिंह पिता महीपति सिंह,

समी निवासी ग्राम ^{आरवा} ~~अरवा~~, तहसील- देवतर, जिला-सिगरौली म०प्र०

अवेदकगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार
देवतर बृत्त, सरौधा, जिला-सिगरौली के
प्रकरण क्रमांक- 119अ-6-12-13 मध्य में
प्रकरण क्र० 25-अ-97-98 आदेश दिनांक
28/7/2017

निगरानी अन्तर्गत धरत- 50 म०प्र०-रा०-००
सन् 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

01 यहकि अमीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के
विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02 यहकि अमीनस्थ न्यायालय ने दि० 28/7/17 को जो आदेश
पारित किया है उसकी सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई जबकि अमी-
नस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22/7/17 को प्रकरण लिया गया 30/6/17
को आदेश में नियत किया गया है। लेकिन उस दिन आवेदक उपस्थित था
आदेशपारित नहीं हुआ, आदेश दि० 28/7/17को पारित हुआ जिससे

Signature

02

अध्यक्षी रामकारणदेव
राजस्व द्वारा चेक
3-12-17

राजस्व म० प्र०
(सिक्रेट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक II/निग0/2017/4914

जिला-सिंगरौली

सुखवन्त सिंह गोड./ गनपत सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
०५-८-१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त सरौंधा, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 119/अ-6/2012-13 एवं 25/अ-6/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	